an>

Title: Alleged anomalies in providing medical help to Kidney patient under Rashtriya Arogya Nidhi.

**श्री रमा किशोर सिंह (वैशाली) :** आज देश में निम्न, मध्यम एवं बीपीएल मरीजों को सरकार द्वारा उपलब्ध अनुदान प्रावधान में विसंगतियां व्याप्त हैं। आम मरीजों और जनप्रतिनिधियों में इस प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति व्याप्त है। अभी हमने अपने क्षेत्र के बीपीएल मरीज को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अन्तर्गत किडनी प्रत्यारोपण के लिए निधि उपलब्ध कराने के लिए पत्र केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भेजा। पत्र के आलोक में दिनांक 28 मई, 2015 को अधोहस्ताक्षरी को जवाब आया कि अनुदान स्वीकृत करना संभव नहीं है क्योंकि मरीज का इलाज निजी अस्पताल में हो रहा है। पुनः दिनांक 08 जून, 2015 को प्राप्त पत्र में सूचित किया गया है कि 'मैं मामले को दिखवा रहा हूं।' इस पत्र से उम्मीद बढ़ी कि मरीज को अनुदान मिलेगा और इस संबंध में हमने पुनः पत्र माननीय मंत्री जी को प्रेषित कर संशय की स्थिति और उक्त अहमदाबाद के नामचीन और विशेषज्ञ अस्पताल के मरीजों को प्रधानमंत्री राहत कोष से अनुदान स्वीकृति प्रदान करने के प्रावधान से अवगत कराया परन्तु उक्त पत्र का जवाब आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। संबंधित मरीज उक्त अस्पताल से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है।

इस प्रसंग में मेरा सुझाव है कि एचएमडीजी, आरएसबी और पीएमएनआरएफ के अन्तर्गत निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अनुदान प्रदान कराने का प्रावधान किया जाए क्योंकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समझ नहीं आता कि मेरी जान सरकारी या निजी अस्पताल में बचेगी? इस कारण सभी अनुदान प्रावधानों को एकीकृत करने की आवश्यकता है क्योंकि मरीजों के समक्ष संशय की स्थिति उत्पन्न न हो।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मेरे पत्र के आलोक में गलत सूचना भेजने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाए।